रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-12102023-249329
CG-TN-E-12102023-249329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 11, 2023/आश्विन 19, 1945
No. 701] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2023/ASVINA 19, 1945

इंडियन बैंक

(मानव संसाधन विभाग)

(प्रधान कार्यालय: चेन्नै)

अधिसूचना

चेन्नै, 6 अक्तूबर, 2023

फा. सं. पेंशन/01/2023(ई).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (एफ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडियन बैंक के निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 में संशोधन कर एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) ये विनियम इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम 2023 कहलाएंगे।

(2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्टतया उपलब्ध को छोड़कर, ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में (इसके बाद उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित),विनियम 27, नोट के स्थान पर, निम्नलिखित नोट को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"नोट 1: नवंबर 2012 के प्रथम दिवस से, पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले स्थायी अंशकालिक वेतनमान के कर्मचारियों के पेंशन राशि की गणना के लिए उनके वास्तविक सेवा की गिनती, यथानुपात के बजाय उनके अर्हक सेवा के अनुसार की जाएगी।"

नोट 2: वास्तविक सेवा या अर्हक सेवा की गणना, स्थायी अंशकालिक वेतनमान कर्मचारी के रूप में भर्ती या नियुक्ति की तारीख से या 1 सितंबर, 1978 से, जो भी बाद में हो, की जाएगी।"।

3. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, खंड (ई) के बाद, निम्नलिखित खंड सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात् : -

"(एफ) अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर, जहां एक कर्मचारी 1 नवंबर 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए, उसे दो हजार सात सौ पचासी रुपये प्रति माह, जहां अंशकालिक कर्मचारी 1 नवंबर 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो, वहाँ वेतन का 1/3 वेतनमान लेने वाले अंशकालिक कर्मचारी को प्रति माह नौ सौ बत्तीस रुपये, 1/2 वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी को प्रति माह एक हजार तीन सौ सत्तानवे रुपये, वेतन का ¾ वेतनमान लेने वाले अंशकालिक कर्मचारी को प्रति माह दो हजार छियानवे रुपये।"

4. उक्त विनियमों के विनियम 40 में,-

(ए) उप-विनियम (1) में, -

(i) खंड (बी) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु जब पात्र पुत्र या पुत्री, सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार, आदि से प्रति माह दस हजार रुपये से अधिक की राशि अर्जित करने लगता हैं, तो पुत्र या पुत्री (विधवा या तलाकशुदा सहित) को देय कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी या देय नहीं होगी";

(ii) खंड (सी) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(सी) माता-पिता की स्थिति में, यदि माता-पिता में से किसी एक की आय या माता-पिता दोनों की कुल आय सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार, आदि से प्रति माह दस हजार रुपये से अधिक हो जाती है, तो कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी या देय नहीं होगी।";

(बी) उप-विनियम (4) में,-

(i) खंड (ए) में, उप-खंड (v) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(vi) नवंबर 2012 के प्रथम दिवस को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या मृत कर्मचारियों के संबंध में, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिए, प्रति माह अठारह हजार पांच सौ अड़सठ रुपये";

(ii) खंड (बी) में, उप-खंड (v) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(vi) नवंबर 2012 के प्रथम दिवस को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या मृत कर्मचारियों के संबंध में, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिए, प्रति माह अठारह हजार पांच सौ अड़सठ रुपये";

(iii) खंड (सी) में, उप-खंड (v) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(vi) नवंबर, 2012 के प्रथम दिवस को या उसके बाद सेवानिवृत हुए या मृत कर्मचारियों के संबंध में, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिए, प्रति माह नौ हजार दो सौ चौरासी रुपए"।

5. उक्त विनियमों के परिशिष्ट II में, खंड (4) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने नवंबर 2012 के प्रथम दिवस को या उस दिनांक से सेवानिवृत्त हुए, उन्हें महंगाई राहत शृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 4440 अंकों के ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी और ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में इस तरह की वृद्धि या गिरावट मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से परिकलित की जाएगी।"

6. उक्त विनियमों के परिशिष्ट III में, खंड (ई) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(एफ) नवंबर 2012 के प्रथम दिवस को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी और कामगारों दोनों) के संबंध में:

वेतनमान प्रति माह	मासिक कुटुंब पेंशन की राशि
(1)	(2)
रु.11,100 तक	'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी। परंतु मूल तथा अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योग न्यूनतम रु.2785/- प्रति माह के अधीन होंगे।
रु.11,101 से रु.22,200 तक	'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी। परंतु मूल तथा अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योग न्यूनतम रु.3422/- प्रति माह के अधीन होंगे।
रु.22,200 से अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी। परंतु मूल तथा अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योग न्यूनतम रु.4448/- प्रति माह तथा अधिकतम रु.9284/- प्रति माह के अधीन होंगे।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पूर्वव्यापी प्रभाव से दिए गए उक्त विनियमों को संयुक्त नोटों और निपटान के लिए सहमत नियमों व शर्तों के अनुसार, इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशेष अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तर के कामगार संघों तथा अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित है। इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टी. धनराज, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./483/2023-24]

नोट: प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरसी/पेंशन/223, दिनांकित 29 सितंबर, 1995 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या पेन/1/17, दिनांकित 15 सितंबर, 2017 के माध्यम से अंतिम रूप से संशोधित किया गया जिसे भारत के राजपत्र के भाग III खंड 4 में 11 जनवरी, 2018 को प्रकाशित किया गया था।

INDIAN BANK

(Human Resources Department)

(Head Office: Chennai)

NOTIFICATION

Chennai, the 6th October, 2023

F. No. Pen/01/2023(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Indian Bank, after consultation with Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Indian Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023.

(2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Bank (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 27, for the note, the following note shall be substituted, namely:—

"Note 1: With effect from 1st November 2012, for the purpose of calculating the amount of pension in respect of permanent part-time employees in scale wages who are covered by the Pension Scheme, their actual service shall be reckoned for qualifying service and not pro-rata.

Note 2: The actual service or qualifying service shall be calculated from the date of recruitment or appointment as permanent part-time employee in scale wages or from 1st September, 1978, whichever is later.".

3. In regulation 36 of the said regulations, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

"(f) rupees two thousand seven hundred and eighty-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after 1st day of November 2012, rupees nine hundred and thirty two per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees one thousand three hundred and ninety-seven per month in respect of part-time employee drawing ½ scale wages, and rupees two thousand and ninety-six per month in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November 2012.".

4. In regulation 40 of the said regulations,—

(a) in sub-regulation (1),—

(i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees ten thousand per month from employment in Government or private sector or self-employment, etc.";

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or private sector or self-employment, etc. exceeds rupees ten thousand per month.";

(b) in sub-regulation (4),—

(i) in clause (a), after sub-clause (v), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(vi) eighteen thousand five hundred and sixty-eight rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2012.";

(ii) in clause (b**),** after sub-clause (v), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(vi) eighteen thousand five hundred and sixty-eight rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2012.";

(iii) in clause (c), after the sub-clause (v), following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(vi) nine thousand two hundred and eighty-four rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2012.".

5. In Appendix II to the said regulations, in clause (4), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that in respect of employees who retired on or after 1st day of November 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 and such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 per cent.of basic pension.".

6. In Appendix III to the said regulations, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

"(f) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after 1st day of November 2012:

Scale of pay per month	**Amount of monthly family pension**
(1)	**(2)**
Upto Rs.11,100	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a

	minimum of Rs.2785 per month.
Rs.11,101 to Rs. 22,200	20 per cent. of the pay shall be basic family pension and additional 20 per cent. of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.3422 per month.
Above Rs.22,200	15 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 15 per cent. of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.4448 per month and maximum of Rs.9284 per month.".

Explanatory Memorandum

The regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlement and Joint Note signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

T. DHANARAJ, (Chief General Manager)

[ADVT.-III/4/Exty./483/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, *vide* notification number SRC/Pension/223, dated the 29th September,1995 and lastly amended, *vide* notification number Pen/1/17, dated the 15th September, 2017 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, dated the 11th January, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.12 19:28:46 +05'30'